

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म में
16/11/17	<p> पञ्चवली पेश हुई वकील प्रार्थी गैर हाजिर पञ्चवली का अवलोकन किया गया। साक्ष्यवली पाया गया कि प्रार्थी वकील द्वारा पूर्व में कई आदेश दिये जाने के बावजूद अप्राप्ति गण की तालकी हेतु समत पेश नहीं किये गये हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वकील प्रार्थी प्रार्थना-पत्र को चलाने में इच्छुक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र O.P.C. की धारा 9 (5) के तहत खादिस किया जाता है। पञ्चवली फसूल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो। </p> <p style="text-align: right;"> (सुमित्रा पारिक) R.A.S. (अनु. वि. प्र.) प्रथम श्रेणी का (प्रार्थी) का </p> <p style="text-align: center;"> जिला न्यायालय जिला न्यायाधीश का कार्यालय जिला न्यायाधीश का कार्यालय जिला न्यायाधीश का कार्यालय </p>	11